बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य सूची

26 फरवरी 2026

11:00:00

----

1. **प्रश्नोत्तर**

(1) अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य**

(1) सर्वश्री महेश्वर हजारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [उद्योग विभाग] की ओर से वक्तव्य।

[दिनांक 23 एवं 24 फरवरी, 2026 से स्थगित]

(2) श्री नीतीश मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग] की ओर से वक्तव्य।

[दिनांक 24 फरवरी, 2026 से स्थगित]

(3) सर्वश्री राजू कुमार सिंह, मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य दस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य।

(4) सर्वश्री बाबुलाल शौर्य, विष्णु देव पासवान एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य।

3. **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना**

(1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए

वर्ष 2022-23 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक", "अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल", मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल", 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा "विनियोग लेखे" एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा जाना।

(2) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक", "अनुपालन लेखापरीक्षा सिविल", मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल", 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा "विनियोग लेखे" एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

(3) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-35 के तहत् बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

4. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।

5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

<u>मध्याह्न-विराम (01.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)</u>

6. **विधायी कार्य**

<u>राजकीय विधेयक</u>

(1) **<u>"बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026"</u>**

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(2) **"बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026"**

(i) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

(iii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

(iv) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(3) **"बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026"**

(i) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक सस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

(iii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

(iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(4) **बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026"**

(i) विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

(iii) विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि

(संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

(iv) विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मंगल पांडे प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(5) **"बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026"**

(i) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(iii) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

(iv) उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(6) **"बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026"**

(i) शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

(iii) शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

(iv) शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

7. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

पटना-800015
दिनांक:25 फरवरी 2026